संख्या- 08 /2018/686/अडतीस-7-2018- 134नरेगा/2017

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक ,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 **लखनऊ दिनांक 03 अप्रैल, 2018**

विषय- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत निजी खेत की मेड़ (बाउन्ड्री) पर ''मुख्यमंत्री कृषक वृक्ष धन योजना''।

महोदय,

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के पात्र वर्ग के जॉबकार्डधारी परिवार की निजी खेत की मेड़ (बाउन्ड्री) पर ''मुख्यमंत्री कृषक वृक्ष धन योजना'' वृक्षारोपण हेतु निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैः-

1. इस परियोजना के तहत, मनरेगा अधिनियम की अनुसूची- 1 के पैरा- 5 में वर्णित निम्नवत् कुटुंबों को आच्छादित किया जा सकेगा -

(क) अनुसूचित जाति
(ख) अनुसूचित जनजाति
(ग) घुमन्तु जनजाति
(घ) अधिसूचना में से निकाली गयी जनजातियां
(ड़) गरीबी रेखा से नीचे अन्य कुटुम्ब
(च) महिला प्रधान वाले कुटुम्ब
(छ) शारीरिक रूप से विकलांग प्रधान वाले कुटुंब
(ज) भूमि सुधारों के फायदाग्राही
(झ) इन्दिरा/प्रधानमंत्री आवास योजना के अधीन फायदाग्राही
(ञ) अनुसूचित जाति तथा अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम-2006 (2007 का 2) के अधीन फायदाग्राही, और

इस शर्त के अधीन रहते हुए कृषि ऋण माफी और ऋण राहत स्कीम, 2008 में यथापरिभाषित लघु या सीमांत किसानों की भूमि पर, उपरोक्त प्रवर्गो के अधीन पात्र फायदाग्राहियों को खाली करने के पश्चात कि कुटंबों के पास उनकी भूमि या वास भूमि पर आरम्भ की गयी परियोजना पर कार्य करने के इच्छुक कम से कम एक सदस्य के पास जॉबकार्ड होगा। (and after exhausting the eligible beneficiaries under the above categories, on lands of the small or marginal farmers as defined in the Agriculture Debt Waiver and Debt Relief Scheme, 2008 subject to the condition that such households shall have a job card with atleast one member willing to work on the project undertaken on their land or homestead)

2. उच्च गुणवत्ता के बांस तथा छायादार/फलदार/औषधीय वृक्ष प्रजाति के बहुवर्षीय पौधे जो मनरेगा योजना में अनुमन्य है, का वृक्षारोपण किया जायेगा। मुख्यतः शीशम, नीम, खैर, बबूल, अरू, मलबरी, सहजन, कदम्ब, सागौन, गम्हार, यूकेलिप्टस, पॉपलर, कलमी/देशी आम, कटहल, अमरूद, आंवला, बेल, जामुन, नींबू एवं चीकू आदि प्रजाति के वृक्षों का रोपण किया जाय। रोपण हेतु प्रजातियों का चयन लाभार्थी द्वारा किया जायेगा, परन्तु डार्क भू-जल स्तर वाले क्षेत्रों में जल संचयन में अधिक उपयोगी प्रजातियों का रोपण प्रोत्साहित किया जायेगा।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3. निजी खेत की मेड़ पर वृक्षारोपण के लिए मानक परियोजना निम्नानुसार निर्धारित की जाती है: -

परियोजना अवधि	03 वर्ष			
प्रति परियोजना पौधों की संख्या	200			
पौध अंतराल	2.0 से 3.0 मी0			
परियोजना की मानक लागत	मनरेगा/वन विभाग की प्रचलित अनुसूचित दरों के अनुसार			
परियोजना की प्रति पौधा मानक लागत	मनरेगा/ वन विभाग की प्रचलित अनुसूचित दरों के अनुसार			
परियोजना की वर्षवार मानक लागत	सामग्री	सामग्री/पौध	मानव दिवस	श्रम दिवस/पौध
प्रथम वर्ष	गोबर की खाद (400 किलो) व पौध का मूल्य (206 पौध) व ढुलान, कीटनाशक (400मिली ग्राम) रासायनिक उर्वरक(05 किलो) अभिलेखीकरण कार्य	गोबर की खाद (02 किलो) व पौध का मूल्य (01पौध) व ढुलान, कीटनाशक (02मिलीलीटर) रासायनिक उर्वरक (25ग्राम) अभिलेखीकरण कार्य	71	0.355
द्वितीय वर्ष	पौध का मूल्य (21 पौध) व ढुलान, कीटनाशक (400मिलीलीटर) एवं रासायनिक उर्वरक(05 किलो) एवं अभिलेखीकरण कार्य	पौध का मूल्य (01 पौध) व ढुलान, कीटनाशक (02मिलीलीटर), एवं रासायनिक उर्वरक (25ग्राम) एवं अभिलेखीकरण कार्य	95	0.475
तृतीय वर्ष	कीटनाशक (400मिली) रासायनिक उर्वरक(02 किलो) एवं अभिलेखीकरण कार्य	कीटनाशक (02मिली) रासायनिक उर्वरक(25ग्राम)एवं अभिलेखीकरण कार्य	95	0.475

4. एक परियोजना में 1-10 पात्र लाभार्थी परिवार सम्मिलित होंगे। उक्त परियोजना को एक कार्य मानते हुये नरेगा सॉफ्ट के एम0आई0एस0 से संबंधित कार्यवाही यथा-ID Generation, work allocation, e-MR Generation, MB, work completion, Geo tagging, Photography, Social Audit इत्यादि किये जायेंगें।

5. इस परियोजना का Model Estimate वन विभाग द्वारा स्वीकृत है, अतः परियोजना के लिए तकनीकी स्वीकृति वन विभाग द्वारा स्वीकृत Model Estimate के अनुरूप कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार प्रदान की जायेगी। Model Estimate मनरेगा एवं वन विभाग के प्रचलित शेडयूल ऑफ रेटस(SOR) के आधार पर तैयार किया गया है, जिसमें ग्राम्य विकास एवं वन विभाग द्वारा समयान्तर्गत आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा सकेगा। प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति के लिए, ग्राम पंचायत के कार्यदायी संस्था होने की स्थिति में कार्यक्रम अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी अधिकृत होंगे एवं ग्राम पंचायत से इतर, अन्य लाइन विभागों के कार्यदायी संस्था होने पर प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति देने का अधिकार जिलाधिकारी / जिला कार्यक्रम समन्वयक का

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

होगा। तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति का अंकन कार्यदायी संस्था द्वारा मनरेगा सॉफ्ट पर नियमानुसार किया जायेगा।

6. वृक्षारोपण परियोजना की कार्यदायी संस्था वन एवं वन्य जीव विभाग हो सकता है। कार्यदायी संस्था का निर्धारण जिला कार्यक्रम समन्वयक/जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा। कार्यदायी संस्था, त्रिस्तरीय पंचायतें व लाईन विभाग हो सकते हैं। वन एवं वन्य जीव विभाग से इतर कार्यदायी संस्था होने पर, परियोजना के क्रियान्वयन में तकनीकी सहायता वन एवं वन्य जीव विभाग द्वारा प्रदान की जायेगी।

7. इस परियोजना में लिये गये कार्यों की एम0आई0एस0 पर आई0डी0 का निर्माण, "व्यक्तिगत लाभार्थी के लिये निर्धारित श्रेणी" में किया जायेगा।

8. कार्यदायी संस्था द्वारा परियोजना हेतु पौध का क्रय, वन विभाग, उद्यान विभाग द्वारा संचालित पौधशाला, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त पौधशाला, सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित पौधशालाओं से नियमानुसार किया जायेगा।

9. परियोजना के अन्तर्गत पौध सुरक्षा/रख रखाव का दायित्व लाभार्थी परिवार का होगा।

10. भुगतान व्यवस्थाः-

परियोजना के अन्तर्गत समस्त भुगतान मनरेगा योजनान्तर्गत निर्धारित प्राविधानों के अनुरूप किये जायेंगे एवं भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

अनुराग श्रीवास्तव
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या- 08 /2018/686/(1)/अइतीस-7-2018 तददिनांकः-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, नियोजन एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, ।
3. अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, ।
4. प्रमुख सचिव, वन एवं वन्य जीव विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, उद्यान एवं खादय प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
7. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त मुख्य विकास अधिकारी,उ0प्र0।
9. निदेश्क, उद्यान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. समस्त परियोजना निदेशक/उपायुक्त, श्रम रोजगार, उ0प्र0।

आज्ञा से

डा0 अम्बरीष कुमार सिंह
अनु सचिव।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।